32 IV 37 IV

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

सहायक निगम
उपकोषागार कोषागार
जौनपुर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 031178

दस्तावेज (ट्रस्ट/न्यास)

(1) हमकि मुहम्मद अहमद, जावेद अहमद, सुऐब अहमद पुत्रगण मुहम्मद कलीम मोहल्ला–बभनौटी, सिपाह, पोस्ट–मुँगराबादशाहपुर, तहसील–मछलीशहर, जनपद–जौनपुर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। हमकि हाजी मुहम्मद कलीम मेमोरियल एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट मोहल्ला–सिपाह, पोस्ट–मुँगरा बादशाहपुर, तहसील–मछलीशहर, जनपद–जौनपुर, उत्तर प्रदेश के नाम एक ट्रस्ट बनाने की घोषणा करता हूँ।

मु० अहमद सुऐब अहमद मु० जावेद

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AS 129586

(2) ट्रस्ट (न्यास) की विधिक प्रतिबद्धता :

हाजी मुहम्मद कलीम मेमोरियल एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट, इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत गठित किया जा रहा है। इस ट्रस्ट पर इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के वे समस्त नियम/उपनियम लागू होंगे जो कि इस ट्रस्ट के संचालन के लिए आवश्यक है और न्यायिक विधा में व्यवहारिक तथा विधि मान्य है। **हाजी मुहम्मद कलीम मेमोरियल एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट** उनके अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है।

(3) ट्रस्ट (न्यास) का नाम :

हाजी मुहम्मद कलीम मेमोरियल एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट।

(4) ट्रस्ट (न्यास) का स्थायी पता :

मोहल्ला–सिपाह, पोस्ट–मुँगराबादशाहपुर, तहसील–मछलीशहर
जनपद–जौनपुर, उत्तर प्रदेश

(5) ट्रस्ट (न्यास) का कार्य क्षेत्र :

सम्पूर्ण भारत वर्ष।

मु० अहमद   सुहैल अहमद   मु० जावेद

न्यास पत्र

10,000.00	100.00	60	160.00	3,000
न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री सुऐब अहमद

पुत्र श्री मुहम्मद कलीम

व्यवसाय अन्य

निवासी स्थायी बभनौटी कस्बा मुं0बादशाहुपर पर0 मुंगरा तह0मछलीशहर जि0 जौनपुर

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 15/6/2013 समय 12:11PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(राम सुन्दर यादव)
उप निबन्धक (मछलीशहर)
जौनपुर
15/6/2013

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी

श्री सुऐब अहमद सुऐब अहमद
पुत्र श्री मुहम्मद कलीम
पेशा अन्य
निवासी बभनौटी कस्बा मुं0बादशाहुपर पर0 मुंगरा
तह0मछलीशहर जि0 जौनपुर

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री ओंकार नाथ शर्मा
पुत्र श्री गंगाप्रसाद
पेशा कृषि
निवासी जयपालपुर पर0मुंगरा तह0मछलीशहर जि0 जौनपुर

व श्री अखिलेश अखिलेश
पुत्र श्री राममूरत
पेशा वकालत
निवासी मईडीह पर0मडियाहू तह0मडियाहू जि0जौनपुर

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(राम सुन्दर यादव)
उप निबन्धक (मछलीशहर)
जौनपुर
15/6/2013

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 362231

(6) ट्रस्ट निर्माता (न्यासकर्ता) :

मुहम्मद अहमद पुत्र कलीम मो0–सिपाह, नई बाजार, पोस्ट–मुँगराबादशाहपुर, जनपद–जौनपुर, जावेद अहमद, सुऐब अहमद पुत्रगण मुहम्मद कलीम मो0–बभनौटी, सिपाह, पोस्ट–मुँगराबादशाहपुर, जनपद–जौनपुर, उ0प्र0

(7) न्यासकर्ता द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम व पद :

नजर आमीना उपाध्यक्ष, कुदसिया सदस्य, फौजिया बानो उप प्रबन्धक

(8) न्यासधारी (ट्रस्टी) :

हाजी मु0 कलीम मेमोरियल एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट, मो0–सिपाह, पोस्ट–मुँगराबादशाहपुर, तहसील–मछलीशहर, जनपद–जौनपुर, उत्तर प्रदेश।

(9) उपरोक्त ट्रस्ट में नामित व्यक्ति जो ट्रस्टी बनाये गये।

क्र0	नाम ट्रस्टी	पिता/पति का नाम	पद	व्यवसाय	पता
1	मुहम्मद अहमद	मु0 कलीम	अध्यक्ष	तेजारत	मो0–नई बाजार, सिपाह पो0–मुँगराबादशाहपुर, जौनपुर
2	नजर आमीना	मुहम्मद अहमद	उपाध्यक्ष	गृहणी	मो0–बभनौटी, सिपाह पो0–मुँगराबादशाहपुर, जौनपुर
3	सुऐब अहमद	मुहम्मद कलीम	प्रबन्धक	तेजारत	मो0–बभनौटी, सिपाह पो0–मुँगराबादशाहपुर, जौनपुर
4	फौजिया बानो	मुहम्मद सुऐब	उपप्रबन्धक	गृहणी	मो0–कोट, पो0–मुँगराबादशाहपुर, जौनपुर
5	मु0 जावेद अहमद	मु0 कलीम	कोषाध्यक्ष	तेजारत	मो0–बभनौटी, सिपाह पो0–मुँगराबादशाहपुर, जौनपुर
6	कुदसिया	मु0 जावेद	सदस्य	गृहणी	मो0–कोट, पो0–मुँगराबादशाहपुर, जौनपुर

सुऐब अहमद

मु0 जावेद

मु0 अहमद

२७४५४ ८-१०-२०११

20 MAY 2011

न्यासी

Registration No.: 32 Year : 2,013 Book No. : 4

0101 सुऐब अहमद

मुहम्मद कलीम

बमनीटी कस्बा मु0बादशाहपुर पर0 मुंगरा तह0मछलीशहर जि0 जौन

अन्य

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 367447

(10) ट्रस्ट का स्वरुप :

यह ट्रस्ट एक स्वैच्छिक संगठन है जो जाति, धर्म, वर्ग, सम्प्रदाय व राजनीति से ऊपर उठकर जनहित में "सर्व सुखाय, सर्व हिताय" में वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना से कार्य करेगी।

(11) लाभग्राही :

हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध आदि समस्त धर्म जाति के समस्त लोगों को बिना किसी भेद–भाव के सामान्य विकास अर्थात् मानव मात्र व प्राणिमात्र के सर्वांगीण विकास के लिए यह ट्रस्ट काम करेगी और सभी को समान लाभ पहुचाने का प्रयास करेगी तथा मानव विकास में सहायक प्राणि व वनस्पतियों के विकास व कल्याण में कार्य करेगी।

(12) हितग्राही व्यक्ति :

ट्रस्ट द्वारा किसी भी प्रकार का कोई लाभ किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होगा बल्कि ट्रस्ट के विकास व उसके कार्यक्रमों के विकास में लोक कल्याण के लिए लगाया जायेगा।

(13) ट्रस्ट के उद्देश्य :

इस ट्रस्ट/न्यास के लक्ष्य/उद्देश्य निम्नलिखित होंगे।

1. बालक–बालिकाओं के शैक्षणिक विकास के लिए निम्न स्तर से उच्च स्तर तक प्रौद्योगिकी विद्यालय की स्थापना करना तथा उसे संचालित करना।

सुहैब अहमद मु० जावेद

मु० अहमद

SENIOR TREASURY OFFICER
01 JUL 2011
JAUNPUR

यास पत्र

10,000.00	200.00	60	260.00	3,000
न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री मु0अहमद
पुत्र श्री मु0कलीम
व्यवसाय व्यापार
निवासी स्थायी बमनौटी कस्बा मु0बादशाहपुर तह0मछलीशहर जि0जौनपुर
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 11/7/2013 समय 1:05PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(राम सुन्दर यादव)
उप निबन्धक (मछलीशहर)
जौनपुर
11/7/2013

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून
न्यासी

श्री मु0अहमद मु0अहमद
पुत्र श्री मु0कलीम
पेशा व्यापार
निवासी बमनौटी कस्बा मु0बादशाहपुर
तह0मछलीशहर जि0जौनपुर

श्री जावेद अहमद मु0 जावेद
पुत्र श्री मु0कलीम
पेशा व्यापार
निवासी बमनौटी उक्त

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 367448

(5)

2. नवीन शिक्षा प्रणाली के अनुसार सभी विषयों एवं भाषाओं की समुचित शिक्षा की व्यवस्था करना तथा प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक विविध बोर्डों एवं विश्व विद्यालयों से मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त कर उसकी स्थापना व संचालन करना।
3. सदाचार तथा अध्यात्मिक विकास के लिए निःशुल्क पुस्तकालय एवं वाचनालय आदि की व्यवस्था करना।
4. सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संस्थाओं का निर्माण एवं कार्यक्रमों का आयोजन व संचालन करना।
5. पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने हेतु वृक्षारोपण व वृक्षों का संरक्षण करना।
6. विकलांग, मूक–वधिर, नेत्रहीन, एवं गरीब बालक–बालिकाओं हेतु निःशुल्क विद्यालय का संचालन तथा आवास, भोजन, कपड़ा, शिक्षा आदि की व्यवस्था करना।
7. दहेज प्रथा उन्मूलन, नशा उन्मूलन एवं छुआछूत उन्मूलन पर कार्यक्रम तैयार करना व संचालन करना।
8. ज्ञान–विज्ञान, भौतिकी, शारीरिक, मानसिक, शिक्षा प्रदान कर एक सुयोग्य नागरिक बनाना।
9. समस्त लघु उद्योगों का निःशुल्क प्रशिक्षण देना।
10. निर्धन, असहाय तथा मेधावी छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकीय सहायता तथा छात्रवृत्ति आदि की सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
11. गरीब बालिकाओं/महिलाओं के लिए कढ़ाई–बुनाई, हस्तकला, चित्रकला, कम्प्यूटर, टाइप, शार्ट हैण्ड, खादी ग्रामोद्योग सम्बन्धी निःशुल्क प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।

सुरैब अहमद मु० जावेद

मु० अहमद

SENIOR TREASUARY OFFICER
01 JUN 2011
JAUNPUR

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री प्रेमशंकर दूबे

पुत्र श्री स्व0गिरजा शंकर

पेशा वकालत

निवासी पूराफगुई कस्बा मछलीशहर तह0मछलीशहर

व श्री अखिलेश

पुत्र श्री रामसूरत

पेशा वकालत

निवासी मईडीह पर0मड़ियाहू तह0मछलीशहर जि0जौनपुर

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(राम सुन्दर यादव)
उप निबन्धक (मछलीशहर)
जौनपुर
11/7/2013

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 367449

12. जनसंख्या नियत्रंण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का समय–समय पर आयोजन करना।
13. बंजर भूमि ऊसर क्षारीय, अम्लीय भूमि के सुधार का कार्यक्रम संचालित करना।
14. ग्रामीण गरीब युवक, युवतियों, अल्पसंख्यकों, दलितों, को आत्मनिर्भर बनाने एवं उन्हें स्वरोजगार देने हेतु निःशुल्क प्रशिक्षित करना।
15. ग्रामीण बेरोजगार, युवक, युवतियों को स्वावलम्बी बनाने हेतु ईंट भट्ठा, टाइल्स भट्ठा, सीमेन्ट, ईट, लौह उद्योग, दाल–मिल, चावल–मिल, फर्नीचर उद्योग, डेयरी उद्योग, कुक्कुट, मछली पालन, कालीन, दरी उद्योग, मधुमक्खी पालन, उन्नतशील बीज, छपाई उद्योग, प्रिंटिंग वर्क, कापी उद्योग, संस्थाओं को प्रकाश व्यवस्था आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण देना।
16. क्षेत्रवासियों में राष्ट्रीयता अखण्डता की भावना जागृत करके राष्ट्रीय चेतना की स्थापना करना।
17. राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के माध्यम को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद, एलोपैथ, होम्यों पैथ, एवं एड्स के सम्बन्ध में जानकारी पैदा करके एड्स को रोकने के सम्बन्ध में गोष्ठियां आयोजित करना व साहित्य वितरण करना।
18. समय–समय पर निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन करना व संचालन करना।
19. दैवीय आपदाओं के समय जनता की हर सम्भव मदद करना।
20. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों बच्चों को पल्स पोलियों, हेपेटाइटिस–बी. के टीकाकरण की निःशुल्क व्यवस्था करना।
21. उम्र दराज निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था करना।

सुरैया अहमद

मु॰ अहमद

SENIOR TREASURY OFFICER ★ 01 JUL 2011 ★ JAUNPUR

न्यासी

Registration No.: 38 Year: 2,013 Book No.: 4

0101 मु0अहमद

मु0कलीम

निवासी कस्बा मु0बादशाहपुर तह0मछलीशहर जि0जौनपुर

व्यापार

0102 जावेद अहमद

मु0कलीम

निवासी उक्त

व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 367450

22. भ्रमण कराकर बच्चों में ज्ञानवर्धक जानकारी पैदा करना।
23. समाज में फैली कुरीतियों जैसे–तलाक, दहेज प्रथा, आनर किलिंग,लिंग परीक्षण आदि जघन्य अपराधों को रोकने के लिए लोगो को जागरुक करना।
24. ग्रामीण एवं दलितों को सरकार के माध्यम से तकनीकि एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण एवं संचालन करना।
25. लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना हेतु कुशल कारीगर द्वारा प्रशिक्षण, स्वच्छ जल एवं पर्यावरण के संरक्षण हेतु कार्य कराना एवं संचालन करना।
26. गरीब बच्चों के लिए अनावासीय, आवासीय, विद्यालय का निःशुल्क संचालन करना।
27. असहाय एवं अनाथ महिलाओं के लिए नारी निकेतन का निःशुल्क संचालन करना।
28. असहाय वृद्ध व्यक्तियों के वृद्धा आश्रम एवं सांस्कृतिक केन्द्र खुलवाना।
29. रोजगार परक तकनीकि शिक्षण संस्थानों का संचालन, जन शिक्षण संस्थान तथा कृषि विज्ञान केन्द्र का संचालन करना।
30. कृषि विविधीकरण आधुनिक कृषि तकनीकी विकास, बीज विकास एवं अनुसंधान कार्यक्रमों का संचालन करना।
31. संस्थाओं में प्रकाश व्यवस्था एवं विद्युत की आपूर्ति करना।
32. कागज उद्योग, कापी उद्योग लगाना एवं प्रिटिंग कार्य में कौशल क्षमता को बढ़ाना।

(14) ट्रस्ट की प्रबन्धकारिणी समिति –

ट्रस्ट की प्रबन्धकारिणी समिति में दस्तावेज में उल्लिखित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रन्धक, उपप्रबद्यन्धक, कोषाधयक्ष, सदस्य। यही छः लोग आजीवन व संस्थापक सदस्य होगें। प्रबन्धकारिणी समिति में पद रिक्त होने पर इनके वंशजों द्वारा उसकी पूर्ति की जायेगी।

सुहैल अहमद

मो० जावेद

मो० अहमद

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 367451

(15) **प्रबन्धकारिणी समिति में उत्तरदायी पद –**

ट्रस्ट के प्रबन्धकारिणी समिति में उत्तरदायी पद ट्रस्टी अध्यक्ष, ट्रस्टी उपाध्यक्ष ट्रस्टी प्रबन्धक, ट्रस्टी उपप्रबन्धक, ट्रस्टी कोषाध्यक्ष, ट्रस्टी सदस्य होंगे। ये सभी ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे।

(16) **ट्रस्ट की सदस्यता : ट्रस्ट की सदस्यता निम्नलिखित प्रकार से होगी।**

1. **संस्थापक ट्रस्टी –** इस ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी है जिन्हें किसी भी प्रकार के रिक्त ट्रस्टी को मनोनीत करने का अधिकार है एवं ट्रस्ट के संचालन और नियत्रंण का सर्वाधिकार प्राप्त है। ट्रस्टी अध्यक्ष अपने उत्तराधिकारी को अपने जीवन काल में कार्यकारी ट्रस्टी/उत्तराधिकारी मनोनीत कर सकते हैं।
2. **मुख्य ट्रस्टी–** मुहम्मदअहमद, मुहम्मद जावेद अहमद, सुऐब अहमद मुख्य ट्रस्टी होंगे।
3. **सहयोगी ट्रस्टी–** नजर आमीना, कुदसिया, फौजिया बानों सहयोगी ट्रस्टी होंगी।
4. **ट्रस्टी की सदस्यता समाप्ति–** पागल होने, दिवालिया होने, मृत्यु होने पर या किसी न्यायालय में मोरल टरपिट्युट के अन्तर्गत सजा पाने या त्याग–पत्र देने पर या ट्रस्ट के विरुद्ध हानिकारक कार्य करने पर सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

(17) **प्रबन्ध समिति के अधिकार एवं कर्तव्य–**

1. प्रबन्धकारिणी समिति ट्रस्ट से सम्बन्धित नीति विषयक निर्णय लेगी।
2. ट्रस्ट द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के सफल एवं सुलभ संचालन हेतु चल–अचल सम्पत्ति को खरीदना, बेचना–रेहन रखना, ऋण लेना अनुदान लेना आदि।

सुऐब अहमद

मु० जावेद

मु० अहमद

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 367452

3. किसी पदाधिकारी को विभिन्न प्रकार के जनकल्याण कार्यक्रम के संचालन हेतु अधिकार प्रदान करना व उनको मनोनीत करना, नियुक्ति करना निष्कासन करना व किसी सक्षम अधिकारी द्वारा दिये किये गये प्रशासनिक निर्णय का अनुमोदन करना या उसे निरस्त करना।
4. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित संस्था में परियोजनाओं के संचालन में समितियों व उप समितियों का गठन करना, उनके पदाधिकारियों को मनोनीत करना व उन्हें अधिकार प्राप्त करना तथा भंग करना व व प्रदत्त अधिकारों को वापिस लेना।
5. ट्रस्ट के व ट्रस्ट द्वारा गठित समितियों व उपसमितियों, संस्थाओं व परियोजनाओं के पृथक–पृथक खातों को समयानुसार चालू करने के लिए पदाधिकारियों को अधिकृत करना व बैंक में खाते खुलवाना और उन्हें बन्द कराना या परिवर्तित करना।
6. ट्रस्ट की ओर से किसी भी प्रकार का अनुबन्ध या दस्तावेज लिखने के लिए वाद विवाद में पैरवी करने के लिए किसी भी व्यक्ति को अधिकृत करना तथा किसी जांच पड़ताल के लिए टर्मिनल गठन करना और वैधानिक कार्यवाही करना।
7. वार्षिक आय–व्यय का लेखा स्वीकृत करना तथा आगामी बजट तैयार करना।
8. ट्रस्ट के किसी पदाधिकारी द्वारा लिये गये प्रशासनिक निर्णय को अन्तिम निर्णय देना
9. आवश्यकतानुसार ट्रस्ट के नियम और उपनियम बनाना तथा उनको क्रियान्वित करना।
10. प्रबन्धकारिणी समिति सर्वाधिकार सम्पन्न और वह समस्त निर्णय लेने के लिए सक्षम होगी जो आवश्यकतानुसार महसूस किये जायेगें तथा जो ट्रस्ट के हित में होगा।

सुहैल अहमद मु० जाहिद

मु० अहमद

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 367453

18. ट्रस्ट के कोष की व्यवस्था :

ट्रस्ट के कोष को सुचारु रुप से रखाव एवं उसकी व्यवस्था हेतु किसी डाकघर या राष्ट्रीयकृत/मान्यता प्राप्त अधिसूचित बैंक में ट्रस्ट के नाम खाता खोला जायेगा ट्रस्ट के नाम खोले गये खाते का संचालन अध्यक्ष, प्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष की संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

19. संस्थापक ट्रस्टियों के अधिकार एवं कर्तव्य :

किसी भी ट्रस्टी की रिक्ति की पूर्ति संस्थापक ट्रस्टियों के ही परिवार के वंशानु गत क्रम से वैध मानी जायेगी।

20. विवादित स्थिति पर निर्णय :

ट्रस्ट में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति आने पर किसी न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित होने पर ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टियों के दस्तावेज के मुताबिक समस्त अधिकार प्राप्त होंगे और वे ट्रस्ट के संचालन के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे। तथा ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति के लिए अलग से ट्रस्टियों को मनोनीत कर सकेंगे। और ट्रस्ट की समस्त चल–अचल सम्पत्ति के नियत्रंण व सुरक्षा के प्रति उत्तरदायी होंगे।

21. ट्रस्ट के रिकार्ड या अभिलेख :

एजेण्डा रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, कैशबुक, लेजर, बाउचर फाईल, सदस्यता फाईल, रशीद बही, पासबुक चेक बुक निरीक्षण रजिस्टर, उपस्थित रजिस्टर, वेतन भुगतान रजिस्टर, आदि ट्रस्ट के रिकार्ड होंगे।

मु० जावेद

सुहैल अहमद

मु० अहमद

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 367454

22. **अनुशासनात्मक कार्यवाही :**

ट्रस्ट के किसी भी पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्णय ट्रस्ट प्रबन्ध समिति करेगी। यदि प्रभावित व्यक्ति को उसके निर्णय से संतोष नही होता तो वह प्रमुख ट्रस्टी के पास इस प्रस्ताव के लिए आवेदन कर सकता है उस परिस्थिति में प्रभावित व्यक्ति को एक माह के अन्दर अपना प्रत्यावेदन अध्यक्ष के नाम प्रस्तुत करना पड़ेगा और अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी कि तीन माह के अन्दर प्रबन्ध समिति की बैठक आहूत करके प्रत्यावेदन पर विचार करेंगे। प्रमुख समिति की अध्यक्षता उसके सदस्यों द्वारा मनोनीत व्यक्ति करेगा और प्रबन्ध समिति द्वारा लिया गया निर्णय प्रमुख ट्रस्टी की सहमति की दशा में अन्तिम होगा।

23. **वाद तथा प्रतिवाद :**

समस्त प्रकार के वाद तथा प्रतिवादों का न्याय क्षेत्र जनपद–जौनपुर, उ0प्र0 रहेगा तथा ट्रस्ट द्वारा दूसरों पर या दूसरों द्वारा ट्रस्ट पर दायर वाद विवाद प्रतिवाद ट्रस्ट के पद नाम से होंगे, व्यक्तिगत नाम से नही और ट्रस्ट इस प्रकार के वादों प्रतिवादों की पैरवी के लिए किसी व्यक्ति या पदाधिकारी को मनोनीत कर सकता है तथा अपना कानूनी सलाहकार निश्चित कर सकता है।

24. **परियोजनाओं के संचालन में ट्रस्ट की व्यापकता :**

ट्रस्ट सामाजिक लाभ के लिए संस्थाओं एवं परियोजनाओं का संचालन ग्राम, नगर स्तर से लेकर अखिल भारतीय स्तर पर कर सकता है जो कि भारत वर्ष के किसी भी प्रान्त, जिले, तहसील, ब्लाक, नगर व ग्रामों में चलायी जायेगी।

25. **पदों का सृजन**

ट्रस्ट आवश्यकतानुसार विभिन्न कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए आवश्यक पदों का सृजन कर सकता है और उन पर सुयोग्य व्यक्ति को पद पर स्थापित कर सकता है। सम्बन्धित कार्यक्रमों की प्रबन्ध समितियों का गठन करके उनके उत्तरदायी पदाधिकारियों को मनोनीत करके उन्हें कार्य की जिम्मेदारी दी जा सकती है।

मु0 अहमद   सुहैल अहमद   मु0 जावेद

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उप कोषाधिकारी 10 JUN 2013 मछलीशहर जौनपुर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (12) BK 725794

रमेश चन्द सरोज
उप रोकड़िया उप-कोषागार
म0शहर, जौनपुर

23. ट्रस्ट (न्यास) की सम्पत्तियां :-

ट्रस्ट की चल एवं अचल सम्पत्ति का अधिकार प्रमुख ट्रस्टी का होगा तथा मरणोंपरान्त समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति के मालिक दस्तावेज के कालम 9 में अंकित सभी प्रमुख ट्रस्टी होंगे अथवा उनके वंशानुगत क्रम के वंशज होंगे जिसका संचालन सहमति से किया जायेगा।

हाजी मुहम्मद कलीम मेमोरियल एजूकेशन एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट की स्थापना हेतु दस हजार रूपया नगद जिसे खाता खोलकर ट्रस्ट के खाते में जमा किया जायगा। अतः यह ट्रस्ट नामाविलेख आज दिनांक 15-6-2013 को मेरे द्वारा अभिकथित लिखित एवं उद्घोषित किया जा रहा हैं।

मसविदाकर्ता प्रेम शंकर .... एडवोकेट, तहसील मछलीशहर , जौनपुर
रजि0 सं0- 1183/1985

1) ओंकार नाथ शर्मा S/o स्व० गंगा प्रसाद शर्मा ग्रा०- जमालपुर, जौनपुर

2) अखिलेश S/o स्व० त्रिपुरारी ग्रा० मईडीह, मड़ियाहूँ, जौनपुर

हस्ताक्षर न्यासकर्ता

सुऐब अहमद

मु0 सुऐब अहमद पुत्र मु0 कलीम

प्रबन्धक

मो0- बभनौटी, सिपाह,

पो0- मुगरा बादशाहपुर

जिला- जौनपुर (उ0प्र0)

सुऐब अहमद

मु0 जावेद

मु0 अहमद

740
14-06-13

ट्रस्ट हाजी मो० कलीम मेमोरियल एजूकेशनल
द्वारा ... सिपाह प० मुगल बादशाह जौनपुर

आज दिनांक **11/07/2013** को
बही सं **4** जिल्द सं **15**
पृष्ठ सं **115** से **140** पर क्रमांक **38**
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(राम सुन्दर यादव)
उप निबन्धक (मछलीशहर)
जौनपुर
11/7/2013

...स्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा - 32 ए0 के अनुपालन हेतु

फिंगर प्रिन्ट्स

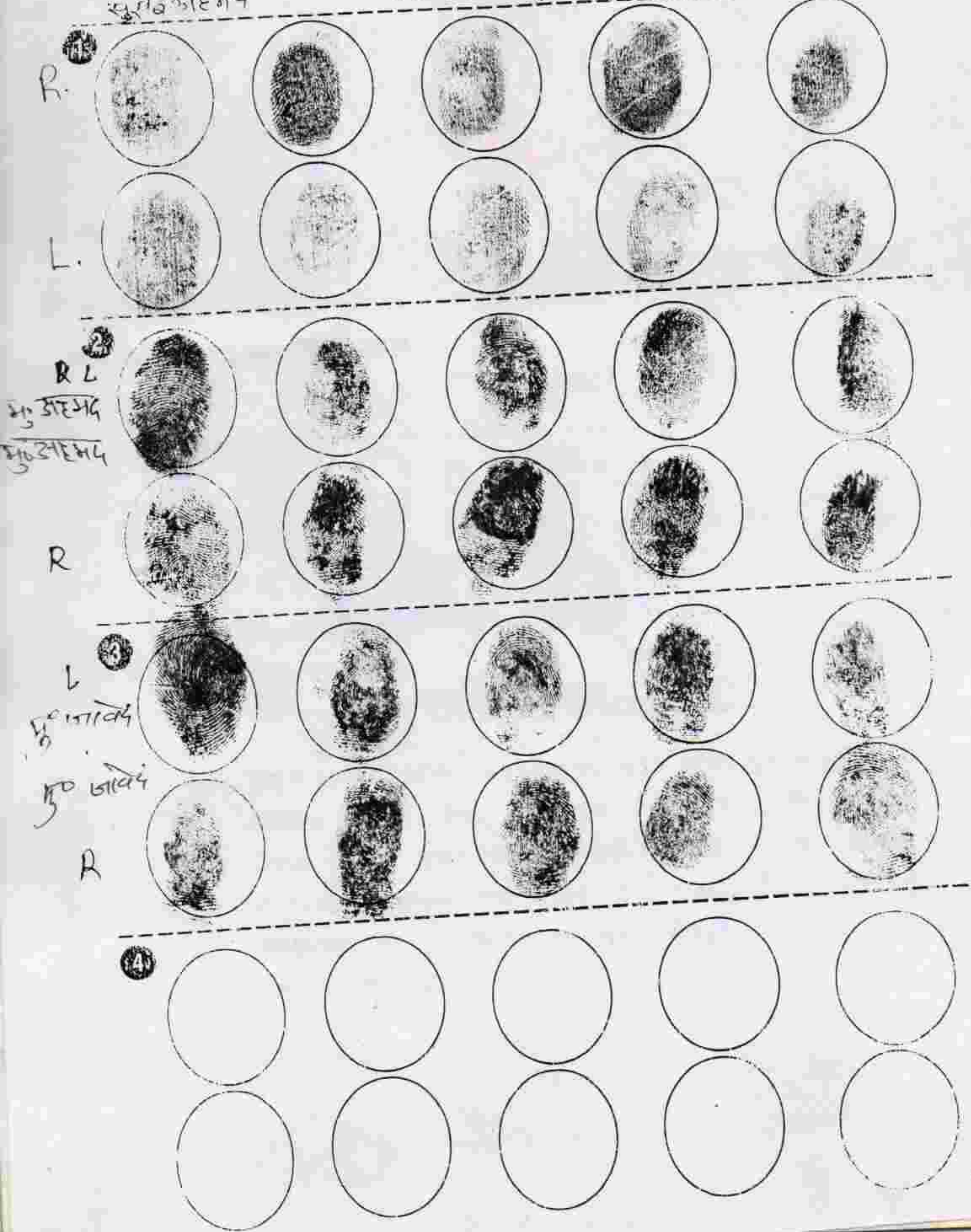

आज दिनांक **15/06/2013** को

बही सं **4** जिल्द सं **14**

पृष्ठ सं **389** से **414** पर क्रमांक **32**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(राम सुन्दर यादव)

उप निबन्धक (मछलीशहर)

जौनपुर

15/6/2013